प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर)

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 663/1997</u>

<u>अपीलकर्ता</u> : डॉ. सुमन कुमार गुप्ता

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री आदिल मिन्हाज, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी /राज्य के लिए।

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दाण्डिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 02.03.2012)

1. अपीलकर्ता ने यह अपील विशेष न्यायाधीश रायपुर द्वारा दिनांक 15.3.1997 को पारित किए गए निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है जो विशेष प्रकरण क्रमांक 30/1992 में पारित हुआ था जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत सिद्धदोष पाया गया है तथा प्रत्येक आरोप पर एक

वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 1000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है साथ ही व्यतिक्रम की शर्तें भी लगाई गई हैं।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि तत्समय अभियुक्त/अपीलकर्ता धरसीवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 6.11.1987 को परिवादी चिंताराम (अभि. सा.-9) ने एस.पी. (लोकायुक्त), रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने नेतराम तथा लालाराम के संबंध में अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए 500 रुपये की मांग की थी ताकि उनके विरुद्ध अभियोजन न चलाया जाए। उक्त आवेदन में यह भी उल्लेख है कि अंततः अपीलकर्ता ने 100 रुपये में अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए सहमति व्यक्त की और परिवादी को उसी दिन अर्थात दिनाँक 6.11.1987 को उक्त राशि लेकर अपने निवास पर आने के लिए कहा। हालांकि परिवादी अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राशि देना नहीं चाहता था और उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाहता था। उसी दिन जे.एल. शर्मा (अभि. सा.-11) - उप पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, रायपुर ने उक्त परिवाद की जांच की और अनुमोदन किया कि यह प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होती है। जे.एल. शर्मा (अभि. सा.-11) के कार्यालय में प्रारंभिक पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया और उसके पश्चात छापामार दल रायपुर से धरसीवा स्थित अपीलकर्ता के निवास की ओर प्रस्थान की। यह आरोप है कि परिवादी चिंताराम तथा पंच साक्षी एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) अपीलकर्ता के घर में प्रवेश किए और अपीलकर्ता को 100 रुपये की रिश्वत के रूप में राशि दी। संकेत प्राप्त होने के बाद जे.एल. शर्मा (अभि.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सा.-11) के नेतृत्व में छापामार दल अपीलकर्ता के घर में प्रवेश की और उसे पकड़ा। यह आरोप है कि 100 रुपये का एक नोट फर्श पर पड़ा हुआ था जिसकी जब्ती प्रदर्श पी-3 के माध्यम से की गई और उसके पश्चात पोस्ट छापे पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया। फिनॉलफ्थेलीन परीक्षण किया गया जो सकारात्मक पाया गया। तत्पश्चात धारा 5(1)(डी) तथा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 161 भा.द.स. के अपराधों के संबंध में देहाती नालिसी प्रदर्श पी-9 दर्ज की गई और इसी आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-12ए दर्ज की गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 प्राप्त हुई तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दिनांक 18.8.1992 को प्रदर्श पी-7 के माध्यम से प्राप्त की गई। जांच के पश्चात पुलिस द्वारा दिनांक 3.11.1992 को चार्जशीट दाखिल की गई और अधिनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 12.1.1993 को अभियोग विरचित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने कई साक्षियों की परिक्षण की है। अभियुक्त/अपीलकर्ता का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से इनकार किया तथा निर्दोष होने का दावा किया एवं मामले में झूठे फंसाए जाने अभिवाक किया है । इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से एक टी.के. अग्रवाल (ब.सा -1) को भी अपने मामले के समर्थन में परीक्षित किया गया है।

4. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को इस निर्णय के पैराग्राफ क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रकार से सिद्धदोष पाया तथा दंडित किया।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि उस समय अभियुक्त/अपीलकर्ता पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के रायपुर जिले के धरसीवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत था तथा वह व्यवसाय नहीं किये जाने का भत्ता नहीं ले रहा था इसलिए उसे अपनी निजी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी। उनके अनुसार चूंकि अपीलकर्ता को निजी व्यवसाय करने का अधिकार था अतः मरीज से फीस लेना उचित था। उनके मतानुसार वर्तमान मामले में भी परिवादी तथा उसके परिवार के सदस्य नियमित रूप से अपीलकर्ता द्वारा इलाज करवाते थे तथा घटना की तिथि पर भी परिवादी ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को चिकित्सा उपचार के लिए 100 रुपये दिए थे। उनका तर्क है कि परिवादी तथा उसके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार के लिए फीस देने का तथ्य परिवादी चिंताराम (अभि. सा.-9) तथा पंच साक्षी एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) दोनों द्वारा स्वीकार किया गया है। उनका कथन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज कथन में भी प्रश्न क्रमांक 19 तथा 81 के उत्तर में अपीलकर्ता ने कहा है कि उसने 100 रुपये अपनी फीस के रूप में लिए थे। बचाव साक्षी टी.के. अग्रवाल (ब.सा -1) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता अव्यावसाय भत्ता नहीं ले रहा था इसलिए उसे अपनी निजी व्यवसाय करने का अधिकार था तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रदर्श डी-2 उनके द्वारा जारी किया गया था। उनका तर्क है कि वर्तमान मामले में परिवादी अभि. सा.-9 ने अभियोजन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उनका कहना है कि पंच साक्षी डी.के. ठाकुर (अभि. सा.-3) तथा एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन नहीं किया है। परिवादी के साथ गए भानूराम वर्मा (अभि. सा.-10) के कथन के संबंध में तर्क दिया गया है कि उनका कथन विरोधाभासों तथा लोप से भरा हुआ है तथा न्यायालय में साक्ष्य देते समय उन्होंने अपनी कथन को बहुत अधिक सुधार लिया है तथा इस साक्षी के कथन को विशेष रूप से परिसाक्ष्य के संदर्भ में देखने पर उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। उनका कहना है कि मांग तथा स्वेच्छा से स्वीकृति अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं की गई है क्योंकि किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने ही धन की मांग की थी या परिवादी ने इसे अवैध परितोषण के रूप में सौंपा था। उनका तर्क है कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा को अभियोजन पक्ष तथा बचाव साक्षियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करके पर्याप्त रूप से खंडित कर दिया गया है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि अपीलकर्ता को अपनी निजी व्यवसाय करने का अधिकार था तथा धन उसे फीस के रूप में दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उपधारणा को खंडित करने के लिए केवल संभावना की प्रधानता पर्याप्त है तथा अभियुक्त को यह युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि धन अवैध परितोषण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि जैसे ही अभियुक्त/अपीलकर्ता संभावना की प्रधानता दर्शाता है तब बोझ अभियोजन पक्ष पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह अपने मामले को युक्तिसंगत संदेह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से परे सिद्ध करे कि अभियुक्त/अपीलकर्ता की ओर से मांग थी तथा स्वेच्छा से स्वीकृति थी तथा धन अवैध परितोषण के रूप में दिया गया था। इस तर्क के संबंध में अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर अवलम्बन लिया है जिसमें सी.एम. गिरिश बाबू बनाम सी.बी.आई. कोचिन मामला 2009 (3) एस.सी.सी. 779, ट्रिलोक चंद जैन बनाम दिल्ली राज्य मामला 1975 (4) एस.सी.सी. 761 तथा वी.डी. झंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1762 शामिल हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि अभियुक्त से दूषित धन की मात्र बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को सिद्ध नहीं करती तथा अभियोजन पक्ष को युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करना होगा कि अवैध परितोषण की मांग थी तथा उसी के अनुसरण में उसकी ओर से स्वेच्छा से स्वीकृति भी थी। इस कथन के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर अवलम्बन लिया है जिसमें बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य मामला 2010 (4) एस.सी.सी. 450, सुभाष परबत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य मामला 2002 (5) एस.सी.सी. 86, शरावण बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला 2011 (2) एम.पी.एच.टी. 385 तथा सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) मामला 1979 (4) एस.सी.सी. 725 शामिल हैं।

6. दूसरी ओर आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया गया है कि लोक सेवक होने के नाते अभियुक्त/अपीलकर्ता को मरीजों से धन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था चाहे उनका इलाज अस्पताल में हुआ हो या डॉक्टर के निवास पर। उनका कहना है कि चिकित्सा उपचार प्रदान करने के बहाने सरकारी डॉक्टर मरीजों से अवैध रूप से धन लेते हैं चाहे इलाज के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लिए हो या उनके द्वारा मांगी गई अनुकूल चिकित्सा रिपोर्ट देने के लिए। उनका तर्क है कि भले ही परिवादी को अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा प्रभावित कर लिया गया हो फिर भी भानूराम वर्मा (अभि. सा.-10) के कथन तथा छापामार दल के अन्य साक्षियों सहित जांच अधिकारी के कथन के आधार पर दोषसिद्धि विधि के अनुसार है। यह निवेदन किया गया है कि फिनॉलफ्थेलीन परीक्षण तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट सकारात्मक हैं तथा इसलिए भी अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विधि के अनुरूप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परिवादी चिंताराम (अभि. सा.-9) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अभियुक्त/अपीलकर्ता को जानता था जो उस समय डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। घटना की तिथि पर शाम को जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके भाई नेतराम तथा लालाराम उसकी पत्नी को गाली दे रहे थे तथा जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पीट दिया जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं तथा उसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। चोटों तथा दर्द के कारण वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के पास दवा लेने गया जहां उसने उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया लेकिन कभी भी कोई रिश्वत की मांग नहीं की। उसने कहा है कि भानूराम (अभि. सा.-10) ही उसे एस.पी. लोकायुक्त के कार्यालय ले गया तथा आवेदन पत्र प्रदर्श पी-1 बनवाकर उस पर उसकी हस्ताक्षर करवाए। उक्त आवेदन पत्र जब परिवादी (अभि. सा.-9) को दिखाया गया तो उसने उस पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने के पश्चात लोक अभियोजक द्वारा उसकी विस्तृत

परिसाक्ष्य की गई लेकिन उसने यह तथ्य अस्वीकार कर दिया कि शुरू में अभियुक्त/अपीलकर्ता ने 500 रुपये मांगे थे तथा अंततः सौदा 100 रुपये पर तय हुआ था| उसने यह तथ्य भी अस्वीकार कर दिया है कि वह भानूराम (अभि. सा.-10) के साथ लोकायुक्त कार्यालय गया था तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता को रिश्वत देकर फंसवाया था। अपनी परिसाक्ष्य के पैराग्राफ 5 तथा 7 में उसने कहा है कि उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता को इलाज करवाने की फीस के रूप में 100 रुपये दिए थे। परिवादी का यह कथन पंच साक्षी एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित है। एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) ने कहा है कि घटना की तिथि पर उसे लोकायुक्त कार्यालय के लोगों द्वारा बुलाया गया था जहां परिवादी भी उपस्थित था। औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात वह छापामार दल के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर गया जहां परिवादी ने उसे बताया कि वह अपने इलाज के लिए धन लाया है तथा उक्त राशि अपनी फीस के रूप में सौंपी। धन सौंपने के पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता तथा परिवादी घर से बाहर आए तथा जब छापामार दल वहां पहुंची तो अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उक्त मुद्रा नोट जमीन पर गिरा दिया। दूसरा पंच साक्षी धनेन्द्र कुमार ठाकुर (अभि. सा.-3) ने कहा है कि घटना की तिथि पर उसे तथा एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) को लोकायुक्त कार्यालय में बुलाया गया था तथा वह छापामार दल के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर गया। जब छापामार दल अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर में प्रवेश की तो 100 रुपये का मुद्रा नोट फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी अभिवचन के पैराग्राफ 6 में इस साक्षी ने कहा है कि जब वह भी अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर में प्रवेश किया तो छापामार दल के सदस्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उन्हें बताया कि उक्त 100 रुपये की राशि परिवादी के परिवार के सदस्यों के पूर्व में किए गए इलाज की फीस के रूप में थी। रामवरम (अभि. सा.-1) वह साक्षी है जिसने नेतराम तथा लालाराम को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले जाया था उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। रेतारिन (अभि. सा.-2) विशेष पुलिस स्थापना रायपुर के कार्यालय में चपरासी है जिसने मुद्रा नोट पर फिनॉलफ्थेलीन पाउडर लगाया था। जेठूराम (अभि. सा.-4) पटवारी है जिसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। एम.सी. शर्मा (अभि. सा.-6) छापामार दल के सदस्यों में से एक है जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि उस समय वह लोकायुक्त कार्यालय में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर के पास पहुंचने पर वे लगभग 200 गज दूर रह गए तथा पहले परिवादी तथा पंच साक्षी एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) को अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर भेजा गया तथा लगभग आधे घंटे के बाद परिवादी बाहर आया तथा छापामार दल को संकेत दिया। उसके पश्चात वह तथा छापामार दल के अन्य सदस्य भी अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर गए उसका हाथ पकड़ा तथा अपनी पहचान बताई। उस समय 100 रुपये का एक मुद्रा नोट जमीन पर पड़ा हुआ था। सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोने के बाद घोल का रंग गुलाबी हो गया। जॉन वर्गीस (अभि. सा.-7) छापामार दल के सदस्यों में से एक ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब छापामार दल अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर पहुंची तो 100 रुपये का मुद्रा नोट जमीन पर पड़ा हुआ था। डी.आर. यादव (अभि. सा.-8) विधि विभाग में कार्य सहायक वह साक्षी है जिसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदर्श पी-7 के साक्षी के रूप में कार्य किया। भानूराम वर्मा (अभि. सा.-10) छाया साक्षी जिसने परिवादी के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर तक साथ दिया था उसने कहा है कि घटना की तिथि पर नेतराम तथा चिंताराम के बीच कुछ विवाद था। नेतराम नशे की हालत में था तथा झगड़े के दौरान उसे कुछ चोटें आईं तथा उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा चिकित्सा उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया जहां अपीलकर्ता ने उसका इलाज किया। उसने कहा है कि नेतराम के चिकित्सकीय परीक्षण के बाद अभियुक्त/अपीलकर्ता ने बताया कि उसकी चोट गंभीर है। उसके पश्चात परिवादी ने अपीलकर्ता से अनुरोध किया कि वह उसे अनुकूल रिपोर्ट देकर बचाए जिसके लिए उसने 500 रुपये की मांग की थी जो परिवादी के अनुरोध पर 200 रुपये हो गई तथा अंततः 100 रुपये पर आ गई। उसने कहा है कि अपीलकर्ता के घर से बाहर आने के बाद उसने अपने सहकर्मियों से चर्चा की कि यदि 100 रुपये भी अभियुक्त/अपीलकर्ता को दिए जाएं तो भी यह आवश्यक नहीं कि वह परिवादी के पक्ष में रिपोर्ट देगा इसलिए लोकायुक्त कार्यालय में परिवाद दर्ज करने का निर्णय लिया गया तथा उसी उद्देश्य से वह अन्य व्यक्तियों के साथ वहां गया जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद छापामार दल गठित की गई छापा मारा गया तथा 100 रुपये परिवादी को दिए गए। इस साक्षी की परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी का कथन भौतिक विरोधाभासों तथा सुधारों से भरा हुआ है। केस डायरी में दिया गया कथन प्रदर्श डी-1 तथा न्यायालय में दिया गया कथन दोनों में पूरी तरह भिन्न कथन हैं। इस साक्षी का समग्र कथन इस न्यायालय के मन में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करता है तथा इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करना इस न्यायालय के लिए सुरक्षित नहीं होगा। जे.एल. शर्मा (अभि. सा.-11) जांच अधिकारी है जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। बचाव साक्षी टी.के. अग्रवाल ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उस समय वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत था तथा वह अपीलकर्ता को जानता था जो उस समय धरसीवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत था। उसने कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता अव्यवसाय भत्ता नहीं ले रहा था तथा इसलिए उसे अपनी निजी व्यवसाय करने का अधिकार था। उसने छापे के समय अभियुक्त/अपीलकर्ता के अव्यवसाय भत्ता न लेने का प्रमाण पत्र प्रदर्श डी-2 सिद्ध किया है।

8. उसके पश्चात परिवादी ने अपीलकर्ता से अनुरोध किया कि वह उसे अनुकूल रिपोर्ट देकर बचाए जिसके लिए उसने 500 रुपये की मांग की थी जो परिवादी के अनुरोध पर 200 रुपये हो गई तथा अंततः 100 रुपये पर आ गई। उसने कहा है कि अपीलकर्ता के घर से बाहर आने के बाद उसने अपने सहकर्मियों से चर्चा की कि यदि 100 रुपये भी अभियुक्त/अपीलकर्ता को दिए जाएं तो भी यह आवश्यक नहीं कि वह परिवादी के पक्ष में रिपोर्ट देगा इसलिए लोकायुक्त कार्यालय में परिवाद दर्ज करने का निर्णय लिया गया तथा उसी उद्देश्य से वह अन्य व्यक्तियों के साथ वहां गया जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद छापामार दल गठित की गई छापा मारा गया तथा 100 रुपये परिवादी को दिए गए। इस साक्षी की परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी का कथन भौतिक विरोधाभासों तथा सुधारों

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से भरा हुआ है। केस डायरी में दिया गया कथन प्रदर्श डी-1 तथा न्यायालय में दिया गया कथन दोनों में पूरी तरह भिन्न कथन हैं। इस साक्षी का समग्र कथन इस न्यायालय के मन में इसकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करता है तथा इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करना इस न्यायालय के लिए सुरक्षित नहीं होगा। जे.एल. शर्मा (अभि. सा.-11) जांच अधिकारी है जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। बचाव साक्षी टी.के. अग्रवाल ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उस समय वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत था तथा वह अपीलकर्ता को जानता था जो उस समय धरसीवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत था। उसने कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता अव्यवसाय भत्ता नहीं ले रहा था तथा इसलिए उसे अपनी निजी व्यवसाय करने का अधिकार था। उसने छापे के समय अभियुक्त/अपीलकर्ता के अव्यवसाय भत्ता न लेने का प्रमाण पत्र प्रदर्श डी-2 सिद्ध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकार साक्षियों के साक्ष्य सहित परिवादी के साक्ष्य का अवलोकन करने पर जो पक्षद्रोही घोषित किया गया है यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा अवैध परितोषण की मांग तथा स्वेच्छा से स्वीकृति को युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। परिवादी (अभि. सा.-9) ने स्वयं अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उससे कभी कोई अवैध परितोषण की मांग नहीं की तथा उसे दिया गया 100 रुपये की राशि उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को पूर्व में दिए गए चिकित्सा उपचार की फीस के रूप में थी। टी.के. अग्रवाल (ब.सा -1) ने साक्ष्य दिया है कि अपीलकर्ता अव्यवसाय भत्ता नहीं ले रहा था तथा

इसलिए उसे अपनी निजी व्यवसाय करने का अधिकार था। उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता के अव्यवसाय भत्ता न लेने का प्रमाण पत्र प्रदर्श डी-2 सिद्ध किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि अवैध परितोषण की मांग तथा स्वेच्छा से स्वीकृति को सिद्ध करने के लिए सुसंगत तथा विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में तथा साक्षियों के बयानों में प्रचुर मात्रा में विरोधाभास होने पर मात्र बरामदगी तथा अन्य औपचारिक तथा टालमटोल प्रकार के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुभाष परबत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य (उपर्युक्त) मामले में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि मात्र धन की स्वीकृति बिना यह सिद्ध किए कि वह अवैध परितोषण के संबंध में थी अभियुक्त/अपीलकर्ता की दोषसिद्धि नहीं कर सकती। परिवादी द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता को दिया गया 100 रुपये की राशि उसकी फीस के रूप में थी यह तथ्य एच.एच. पाल (अभि. सा.-5) द्वारा भी पुष्ट किया गया है। समान मुद्दे से निपटते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंवरजीत सिंह कक्कड़ बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य मामले (2011) 13 एस.सी.सी. 158 में यह प्रतिपादित किया गया है कि लोक सेवक द्वारा अपनी निजी व्यवसाय करते समय अपनी व्यावसायिक पारिश्रमिक के रूप में लिया गया कोई भी धन अवैध परितोषण नहीं माना जाता। इस मामले में यह दोहराना अनुचित नहीं होगा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता कोई अव्यवसाय भत्ता नहीं ले रहा था तथा इसलिए उसे अपनी निजी व्यवसाय करने का अधिकार था। इस प्रकार इस मामले में अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव कि अव्यवसाय भत्ता न लेने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारण उसे निजी व्यवसाय का अधिकार था तथा परिवादी के परिवार के सदस्यों को पूर्व में दिए गए चिकित्सा उपचार की फीस के रूप में धन लिया गया था संभाव्य प्रतीत होता है।

10.उपर्युक्त तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति के प्रकाश में इस न्यायालय की विचारपूर्ण राय है कि अधिनस्थ न्यायालय उपलब्ध साक्ष्य के गलत मूल्यांकन के आधार पर अभियुक्त/अपीलकर्ता को उपर्युक्त रूप से दोषी ठहराने तथा दंडित करने के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था तथा इस आधार पर आक्षेपित निर्णय अपास्त करने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता पर अधिरोपित आरोप से उसे दोषमुक्त घोषित किया जाता है। वह पहले से जमानत पर है अतः उसकी जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं। अपीलकर्ता द्वारा जमा किया गया जुर्माना की राशि यदि जमा की गई हो तो उसे वापस कर दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur